

पत्रांक-6/अ7-37/2001. 11.9.9

झारखंड सरकार  
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,  
निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा, झारखंड, राँची।

सेवा में,  
सचिव,  
सी०बी०एस० ई० नई दिल्ली।

राँची, दिनांक. 9.5.2001

विषय- झारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी स्तर विद्यालयों को सी०बी०एस० ई० नई दिल्ली से संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

सहायक,  
उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार कहा है कि मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा विद्यार्थीपरान्त राज्य के अन्तर्गत संचालित कैलाश राय सरस्वती विद्या मंदिर झुमरो तिलैया, जोडरघा को सी०बी०एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु नीचे अंकित शर्तों एवं बन्धनों के अधीन अस्थायी रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है।

1. - विद्यालय प्रबंधन को सार्वजनिक भूमि एवं भवन के लिये निर्धारित मापदण्ड को धूरा कर लेंगे।

उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों के अतिरिक्त विभागीय आदेश संख्या 1055 दिनांक 5.9.2001 के आदेश में निम्नांकित शर्तों एवं बन्धनों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा:-

1. विद्यालय की वार्षिक कुल आय 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है। कुल आय का 10 प्रतिशत जो भुगत होंगे उसका उपयोग ही विद्यालय के विकास में किया जायेगा। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा।

2. - विद्यालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा।

3. - विद्यालय को शहरी क्षेत्र में 2000 वर्ग एकर एवं ग्रामिण क्षेत्र में 4000 वर्ग एकर भूमि विद्यालय के नाम से निर्बंधित या कम से कम 100 वर्ग एकर क्षेत्रों के निर्बंधित पट्टों/खेतों पर होना चाहिए। यदि भविष्य में जमीनपरान्त विपन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का अधिकार सरकार को सुरक्षित होगा।

4. - विद्यालय में छिन्दी आधा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

सचिव  
कैलाश राय सरस्वती विद्या मन्दिर  
महात्मा गांधीनगर, झुमरो तिलैया  
कोडरमा

PRINCIPAL  
Kailash Rai Saraswati Vidya Mandir  
Jhansi Taluqa, Jharkhand  
School No. 130005



5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या केमिटेसन फीस नहीं लिया जायेगा।
6. गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्राओं का 10 प्रतिशत सीटें नामांकन के लिए सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा।
7. विद्यालय का कार्यकलाप राष्ट्र के हित में होना चाहिये। विद्यार्थियों में राष्ट्रियता का संघार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों ऐतिहासिक, भौगोलिक वैज्ञानिक ज्ञानवर्द्धक, शारीरिक एवं ब्यक्तित्व विकास हेतु साकारात्मक प्रयास करना होगा।
8. विद्यालय में छात्रों की समुचित संख्या एवं उसके अनुपात में शिक्षक होना चाहिये।
9. विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या, योग्यता एवं नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी।
10. विद्यालय में संवादन हेतु गठित नियमावली के आधार पर गठित शांती निकाय के सदस्यों की कार्यविधि पूर्ण होने पर सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
11. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्सटेन्सन प्रोग्राम तथा एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, स्काउट एवं गाइड आदि को सुचारु रूप से करना होगा।
12. यदि कोई संस्था पूर्व में किसी बोर्ड से सम्बद्धता ब्रम्भ प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक 5.9.2001 के अनुसार शर्तों का पालन करना होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा।
13. उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों को अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार होगा।
14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये विद्यालय द्वारा समर्पित कागजाती एवं अभिलेखों का जाली या वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय या विद्यालय द्वारा राष्ट्र या राज्य हित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटुता फैलता हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र को वापस ले सकती है।
15. विद्यालय द्वारा उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों को अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जाँच समय समय पर मानव संसाधन विकास विभाग ग्वाटरंड के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विद्यालय संस्था के वित्तीय एवं अकादमिक अनियमितताओं की जाँच करा सकेगी और जाँचोपरान्त अनुवर्ती कार्रवाई कर सकेगी।

इस रतद्विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा माननीय ग्वाटरंड उच्च न्यायालय राँची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा।

सचिव  
केलाश राय सरस्वती विद्या मन्दिर  
महात्मा गाँधीनगर, झुमरी तिलैया  
कोडरमा

03/03/20

PRINCIPAL  
Kailash Rai Saraswati Vidya Mandir  
Jhumi Tole, Mahatma Gandhi Nagar  
Koderma - 814 101



17. समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विद्यालय सम्बन्धन संबंधी जो निर्णय लिये जायेंगे उनका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शक्तों का उलंघन मानते हुए अनापत्ति, प्रमाण-पत्र वापस लेने के शीघ्र साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती।

विद्यालयभाजन,

*[Signature]*  
निदेशक,

॥ माध्यमिक शिक्षा ॥  
झारखंड, राँची।

आपांक... 11.9.9... / राँची, दिनांक... 9.5.2025

प्रतिलिपि- संबंधित क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*[Signature]*  
निदेशक,

॥ माध्यमिक शिक्षा ॥  
झारखंड  
राँची।


आपांक... 11.9.9... / राँची, दिनांक... 9.5.2025

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड के आप्त सचिव/ सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*[Signature]*  
निदेशक,

॥ माध्यमिक शिक्षा ॥  
झारखंड  
राँची।

*[Signature]*  
सचिव  
कैलाश राय सरस्वती विद्या मन्दिर  
महात्मा गाँधीनगर, झुमरी तिलैया  
कोडरमा



14.3.2024  
PRINCIPAL  
Kailash Rai Saraswati Vidya Mandir  
Jhumi Telaiya, Kodarma (Jharkhand)  
School No.-66393